संख्या-81/2017/928/22-4-17-48(5)/17

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 04 दिसम्बर, 2017

विषय-प्रदेश की कारागारों में आग से बचाव के उपाय सुनिश्चित करने के लिए अग्निशमन संयंत्रों की व्यवस्था के लिए प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-32512/आधु0-1/आर0ओ0, दिनांक 07.09.2017 एवं पत्र संख्या-38143/आधु0-1/अग्निशमन संयंत्र/2017, दिनांक 23.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की 62 कारागारों में 06 किलो ग्राम क्षमता के 1000 फायर इक्सटिंग्यूशर के स्थान पर 1059 फायर इक्सटिंग्यूशर जीएसटी सहित प्रति नग रू0 8,320/- की दर से रू0 88,10,880/- एवं 30 कारागारों में वाटर मिस्ट एण्ड सी0ए0एफ0 फायर फाइटिंग सिस्टम स्थापित कराने हेतु रू0 89,85,600/- अर्थात कुल रू0 1,77,96,480/- की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त कार्य हेतु नई मांग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि में से रू0 1,77,96,480/- (रूपया एक करोड़ सतहत्तर लाख छियान्नवे हजार चार सौ अस्सी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि सर्वप्रथम विभाग प्रस्तावित उपकरणों का क्रय भारत सरकार के GEM portal से करने के विकल्प पर विचार कर कार्यवाही करेगा और इस सम्बन्ध में शासन की सहमति प्राप्त की जायेगी। यदि इस पोर्टल पर इसकी उपलब्धता नहीं होगी तभी ई-टेन्डरिंग के माध्यम से कार्यवाही की जायेगी।

(2) अग्निशमन का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.08.2017 व अन्य सुसंगत शासनादेशों के अनुसार गवर्नमेन्ट ई-मार्कटप्लेस (जैम) के माध्यम से किया जायेगा।

(3) लेखाशीर्षक-4070-800-19-कारागारों में अग्निशमन के उपाय-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मानक मद में धनराशि रू0 1.78 करोड. की बजट व्यवस्था के अन्तर्गत ही संयंत्रों का क्रय किया जायेगा। उक्त बजट व्वयस्था के अतिरिक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

(4) उपकरणों का क्रय करते समय क्रय संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) उक्त उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं एवं सम्बन्धित संस्था का होगा।

(6) स्वीकृत उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(8) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग उसी पर किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2018 तक कर लिया जायेगा।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-00-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-19-कारागारों में अग्निशमन के उपाय-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद" में उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई0-12-1160/दस/2017, दिनांक-16 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या-81/2017/928(1)/22-4-17-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in